

Reference No. 2051-54 /SIDC/IA/Maintenance Charge (Vallid) dt 18-12-18

-: कार्यालय आदेश :-

निगम के संचालक मण्डल की दिनांक 21.11.2018 को सम्पन्न 300वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार औद्योगिक एवं व्यवसायिक/फैसिलिटी/एकल आवासीय/ग्रुप हाऊसिंग तथा संस्थागत (शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक) उपयोग हेतु आबंटित भूखण्डों के लिये दिनांक 01.7.2018 से देय अनुरक्षण शुल्क की दरें निम्नवत निर्धारित की जाती है :-

(क) औद्योगिक भूखण्डों हेतु :-

क्र० सं०	औद्योगिक क्षेत्र की श्रेणी	निर्धारित अनुरक्षण शुल्क (दि० 01.07. 2018 से देय)	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	धीमी गति	रु० 12.00 प्रति वर्गमी० वार्षिक	किसी आबंटी द्वारा देय वार्षिक अनुरक्षण शुल्क की अधिकतम धनराशि उन्हे आबंटित भूमि के 50 प्रतिशत क्षेत्रफल अथवा 100 एकड़ क्षेत्रफल, जो भी अधिक हो, हेतु स्तम्भ संख्या-3 में उल्लिखित दर के अनुसार आगणित की जायेगी।
2.	तीव्र एवं अति तीव्र गति	रु० 24.00 प्रति वर्गमी० वार्षिक	---तदैव---


(ख) व्यवसायिक/फैसिलिटी/एकल आवासीय/ग्रुप हाऊसिंग तथा संस्थागत (शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक) उपयोग हेतु :-

उपरोक्त प्रकृति के आबंटित भूखण्डों में दिनांक 01.07.2018 से देय वार्षिक रख-रखाव शुल्क की दरें यदि आबंटन पत्र/लीजडीड आदि में विशिष्ट रूप से प्रावधानित हैं तो तदनुसार रख-रखाव शुल्क/सर्विस चार्ज लिया जाएगा अन्यथा वार्षिक रख-रखाव शुल्क निम्नांकित दरों पर देय होगा :-

1.	औद्योगिक क्षेत्र/सेक्टर में स्थित व्यवसायिक/ फैसिलिटी उपयोग हेतु आबंटित भूखण्ड	सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र/सेक्टर के औद्योगिक भूखण्डों हेतु निर्धारित रख-रखाव शुल्क की दर का 2.5 गुना प्रतिवर्गमीटर प्रतिवर्ष
----	--	---

2.	एकल आवासीय उपयोग हेतु आवंटित भूखण्ड	समीपस्थ औद्योगिक क्षेत्र के औद्योगिक भूखण्डों हेतु निर्धारित रख-रखाव शुल्क की दर का 2.0 गुना प्रतिवर्गमीटर प्रतिवर्ष
3.	आवासीय क्षेत्र/सेक्टर में स्थित व्यवसायिक/ फेसिलिटी उपयोग हेतु आवंटित भूखण्ड	सम्बन्धित आवासीय क्षेत्र/सेक्टर के एकल आवासीय भूखण्डों हेतु निर्धारित रख-रखाव शुल्क की दर का 2.5 गुना प्रतिवर्गमीटर प्रतिवर्ष
4.	ग्रुप आवासीय उपयोग हेतु आवंटित भूखण्ड	सम्बन्धित आवासीय क्षेत्र के एकल आवासीय भूखण्डों हेतु निर्धारित रख-रखाव शुल्क की दर का 1.5 गुना प्रतिवर्गमीटर प्रतिवर्ष
5.	औद्योगिक क्षेत्र/सेक्टर में स्थित संस्थागत उपयोग हेतु आवंटित भूखण्ड	सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र/सेक्टर के औद्योगिक भूखण्डों हेतु निर्धारित रख-रखाव शुल्क की दर का 1.25 गुना प्रतिवर्गमीटर प्रतिवर्ष
6.	आवासीय क्षेत्र/सेक्टर में स्थित संस्थागत उपयोग हेतु आवंटित भूखण्ड	सम्बन्धित आवासीय क्षेत्र/सेक्टर के एकल आवासीय भूखण्डों हेतु निर्धारित रख-रखाव शुल्क की दर का 1.25 गुना प्रतिवर्गमीटर प्रतिवर्ष

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी उपरोक्तानुसार आवंटियों से देयों के माँग पत्र समय से निर्गत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।



(राजेश कुमार सिंह)
प्रबन्ध निदेशक


17.12.18

9

संख्या 2051-54 एसआईडीसी-आईए-मेन्टीनेन्स चार्ज-पालिसी वाल्यूम-16 दि 18-12-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,
2. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।
3. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, (औ० क्षे० अनुभाग), उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।
4. गार्ड फाईल



(राजेश कुमार सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

17.12.18

9

सन्दर्भ सं० / एसआईडीसी / आईए / एचओ /

दिनांक

-: कार्यालय आदेश -:

निगम निदेशक मण्डल की दिनांक 07.8.15 को सम्पन्न 287वीं बैठक में निगम के औद्योगिक क्षेत्रों के रख-रखाव शुल्क को पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में निर्णय लेते हुए रख-रखाव शुल्क में वृद्धि निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से सभी आवंटियों पर लागू की गयी है-

क्र. सं.	औद्योगिक क्षेत्र की श्रेणी	वर्तमान रख-रखाव शुल्क दर (प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष)	प्रस्तावित रख-रखाव शुल्क दर (प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	अति तीव्रगामी	रु० 8/-	रु० 40/-	अधिकतम शुल्क की सीमा रु० 3.00 लाख प्रतिवर्ष होगी
2	तीव्रगामी	रु० 8/-	रु० 40/-	अधिकतम शुल्क की सीमा रु० 3.00 लाख प्रतिवर्ष होगी
3	धीमी गति	रु० 2/-	रु० 20/-	अधिकतम शुल्क की सीमा रु० 1.50 लाख प्रतिवर्ष होगी

(मनोज सिह)

प्रबन्ध निदेशक

दि० 31-8-15

संख्या 1611-14 एसआईडीसी-आईए-पालिसी वाल्यूम-16 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव एवं समस्त अनुभागाध्यक्ष, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय कानपुर।
2. महा प्रबन्धक (विकास) को इस आशय से प्रेषित कि निगम की वेबसाइट पर उपरोक्त आदेश को लोड कराना सुनिश्चित करे।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, परियोजना अधिकारी, क्षेत्र प्रबन्धक, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।
4. समस्त अधिकारी / कर्मचारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, (औ० क्ष०), मुख्यालय, कानपुर।

(मनोज सिह)
प्रबन्ध निदेशक